संख्या:73/2021/2164/12-2-2021

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग/सहकारिता विभाग/
दुग्ध विकास विभाग/मतस्य विभाग/वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/
रेशम विभाग/पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 18 अक्टूबर, 2021

विषय: उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादन संगठन नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्व में कार्यान्वयन दिशा-निर्देश कृषि अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या: 05/2021/222/12-2-2021-1/2019 टी0सी0 दिनॉक 15 जनवरी, 2021 द्वारा जारी किये गये हैं। इस क्रियान्वयन दिशा-निर्देश के प्रस्तर 3.2.4 में विभागीय योजनाओं से कन्वर्जेन्स सहायता तथा सम्बन्धित विभागों के दायित्व निर्धारित किये गये हैं।

प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठन कार्यक्रम को पूर्ण सफल बनाने हेतु वर्तमान में कृषि, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, मतस्य पालन, रेशम-कीट, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायती राज, ग्राम विकास विभाग, सहकारिता विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं से कनवर्जेन्स सहायता हेतु पूर्व में निर्देश दिये गये थे।

तद्नुसार कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्न कार्यवाही तत्काल अपेक्षित है:-

(i) विभिन्न विभागीय योजनाओं से कनवर्जेन्स हेतु शासनादेश/क्रियान्वयन दिशा-निर्देश निर्गत किये जायें।

(ii) राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई को सहयोग प्रदान करने के दृष्टिगत आपके विभाग के विभागाध्यक्ष अथवा अपर निदेशक स्तर के अधिकारी को नामित किया जाना है। यह अधिकारी अपने विभागीय समस्त योजनाओं से कृषक उत्पादक संगठनों को कनवर्जेन्स हेतु उत्तरदायी होंगे। कृषि अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या: 58/2020/2021/12-2-2020-1/2019 दिनॉक 04 नवम्बर, 2020 तथा

http://shasanadesh.up.gov.in

2133 दिनॉक 27 नवम्बर, 2020 के अनुसार गठित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई को नियमित रूप से विभागीय प्रगति को उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।

(iii) विभागीय नामित अधिकारियों के साथ शीघ्र ही बैठक आयोजित की जाएगी।

अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त कार्यवाही करते हुए विभिन्न विभागीय योजनाओं से सम्बन्धित शासनादेशों/क्रियान्वयन दिशा-निर्देशों की प्रति तथा नामित अधिकारियों के नाम, मोबाइल नं0 व ई-मेल कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को शीघ्रातिशीघ्र (25.10.2021 से पूर्व) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:73/2021/2164(1)/12-2-2021 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को अवलोकनार्थ।

(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in